# HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA), FEB. 17, 2012 (MAGH. 28, 1933 SAKA)

#### भाग-III

### हरियाणा सरकार

वित्तण विभाग

### अधिसूचना

दिनांक 17 फरवरी, 2012

संख्या सा.का.नि.6/संवि/अनु.309/2012-भारत के संविधान के अनुच्छेपद 309 के परन्तु क द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यसपालइसके द्वारा, हरियाणा स्थातनीय लेखा परीक्षा विभाग ग्रुप क सेवा नियम , 1980, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नुलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- ये नियम हिरयाणा स्थांनीय लेखा परीक्षा विभाग ,ग्रुप क सेवा (संशोधन) नियम ,
  2012 कहे जा सकते हैं।
- हरियाणा स्थाहनीय लेखा परीक्षा विभाग ग्रुप क सेवा नियम, 1980 (जिसे, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में , नियम 6 में , उप नियम (1) में , खण्डक (क) के स्थातन प्रनिम्न लिखित खण्ड0 प्रतिस्थासपित किया जाएआर्थात:-
  - "(क) निदेशक की दशा, में-
    - (i) संयुक्त निदेशकों में से पदोन्न्ति द्वारा; या
    - (ii) भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा सेवा , भारतीय राजस्व सेवा , भारतीय रक्षा लेखा सेवा , भारतीय सिविल लेखा सेवा ,भारतीय रेलवे लेखा सेवा तथा डाक तथा तार लेखा सेवा अथवा भारत सरकार के किसी अन्या ग्रुप क संगठित लेखा संवर्ग से सम्बान्धित अधिकारी से स्थाननातंरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा वेतन बैंड 4 अर्थात 37 ,400-67,000 जमा 8700 ग्रेड वेतन ले रहा हो।"।
- 3. उक्ता नियमों में , परिशिष्ट6 क के स्थाधन पर िनम्न लिखित परिशिष्ट प्रतिस्था पित किया जाएगा अर्थात :-

## HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA), FEB. 17, 2012 (MAGH. 28, 1933 SAKA)

### "परिशिष्ट9 क"

(देखिए नियम 3)

क्रम		पदों की संख्या			
प्रग्न संख्यार	पदनाम	स्थामई	अस्थाः	कुल	वेतनमान
1	2	3	4	5	6
1	निदेशक	1		1	वेतन बैंड-4,37400-67000 जमा 8700 ग्रेड वेतन
2	संयुक्त् ः निदेशक		6	6	वेतन बैंड-3,15600-39100 जमा 7600 ग्रेड वेतन

4. उक्तब नियमों में ,परिशिष्ट- ख में , खाना 4 के नीचे , क्रम संख्याथ 1 के सामने , विद्यमान प्रविष्टियों के स्था1न प्रनिम्न7लिखित प्रविष्टियां की जाएंग्रीअर्थात :-

## "स्था नान्तेरण अथवा प्रतिनियुक्**िा"** द्वारा

- (i) भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा सेवा , भारतीय राजस्वा सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा , भारतीय सिविल लेखा सेवा ,भारतीय रेलवे लेखा सेवा तथा डाक तथा तार लेखा सेवा अथवा भारत सरकार के किसी अन्यभग्रुप क संगठित लेखा संवर्ग से सम्बविन्धत अधिकारी से स्थातनातंरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा वेतन बैंड 4 अर्थात् 37 ,400-67,000 जमा 8700 ग्रेड वेतन ले रहा हो,
- (ii) मैट्रिक स्तलर तक हिन्दी4/ संस्कृनत।

**अजीत मोहन शरण,** वित्ताोयुक्तल एवं प्रधान सि**व्धि**रयाणा सरकार, वित्ता विभाग।